न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1/2017 (राजसमन्द डिक्री)

नारायणलाल पिता कन्हैयालाल जी ब्राहमण पालीवाल, निवासी दडवल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द हाल धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. ललितशंकर पिता पुरूषोत्तम उर्फ मिश्रीलालजी पालीवाल,निवासी धायला, तहसील राजसमन्द हाल वल्लभपुर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
2. मु. भंवरी बेवा पुरूषोत्तम उर्फ मिश्रीलाल जी पालीवाल, निवासी धायला, तहसील राजसमन्द हाल वल्लभपुर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती मोहनीबाई पत्नी श्यामसुन्दर जी पालीवाल, निवासी मोहनगढ़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती लाली पुत्री पुरूषोत्तम उर्फ मिश्रीलाल जी पत्नी सत्यनारायण पालीवाल,निवासी जावड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री पुरूषोत्तम उर्फ मिश्रीलाल जी पालीवाल, निवासी बिजनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती फुलवन्ती पत्नी रविन्द्र जी पालीवाल, निवासी धायला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. भैरूशंकर पिता नरोत्तम जी पालीवाल, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. मोहनलाल पिता नरोत्तम जी पालीवाल, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. किशनलाल पिता नरोत्तम जी पालीवाल, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
10. लक्ष्मीनारायण पिता नरोत्तम जी पालीवाल, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

11. श्रीमती रतन देवी पुत्री नरोत्तम जी पत्नी जुगलकिशोर जी पालीवाल, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

12. श्रीमती मीरा पुत्री नरोत्तम जी पत्नी लक्ष्मीकान्त जी दवे, निवासी ब्रह्मबाग कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)

13. श्रीमती तारा पुत्री नरोत्तम जी पत्नी लक्ष्मीचन्द जी बागोरा, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

14. श्रीमती शांति पुत्री नरोत्तम जी पत्नी शंकरलाल जी जोशी, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

15. श्रीमती विभा देवी पुत्री नरोत्तम जी पत्नी सुन्दरदास जी बागोरा, निवासी नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 24.05.2016, प्र.सं. 101/03

———:::———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री खेमराज डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6
3. श्री राजमल राव अभि.रे.सं. 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16
4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 17

———:::———

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 28–06–2019</u>**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट नारायणलाल व हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 से 16 के पूर्वाधिकारी नरोत्तम द्वारा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर वाद पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित कुल किता 11 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम धायला में स्थित है तथा वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार

भूमियां वादीगण व प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई हैं। अतः विवादित भूमियों में वादी संख्या 1 नरोत्तम को 1/3 हिस्से का, उसके भाई मिश्रीलाल के वारिसान ललित शंकर, भंवरी, लाली व लक्ष्मीबाई प्रत्येक को 1/12, 1/12 हिस्से का व बहन जमनाबाई 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। विकल्प में यह भी निवेदन किया कि न्यायालय यदि केरिंग के हिस्से की सम्पत्ति कासीराम व तेजराम में निहित होना नहीं माने तो उस परिस्थिति में तेजराम का हिस्सा जो काशीराम के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होता है, उसमें काशीराम व तेजराम का 2/3 हिस्सा होकर उसके वारिसान प्रत्येक का 1/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि में 2/9, 2/9 हिस्सा है और जमना के मरने के कारण उसका हिस्सा वादी संख्या 2 को प्राप्त होता है व शेष 2/9 हिस्सिा जो पुरूषोत्तम का है वह उसके वारिसान ललित शंकर, भंवरी, लाली व लक्ष्मीबाई को प्राप्त होने के कारण प्रत्येक का 2/36, 2/36 हिस्सा है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि ललित शंकर व भंवरी का सम्पूर्ण जायदाद में केवल 1/9 हिस्सा बनता है और उन्होंने अपने हिस्से से ज्यादा वादीगण के हिस्से के संबंध में 4/9 हिस्से का जो विक्रय पत्र निष्पादित किया है, वह अवैध व शून्य प्रभावी घोषित किया जावे। उपरोक्तानुसार भूमियों का विभाजन किया जाकर प्रत्येक खातेदार के नाम स्वतंत्र रूप से भूमि दर्ज की जाकर उसी अनुसार कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा विशेष कथन में अंकित किया कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपना 1/3 हिस्सा भंवरी व ललितशंकर ने दिनांक 29—03—2003 व 20—01—2004 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के प्रतिवादी संख्या 6 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया है। अतः जब तक वादी उक्त विक्रय पत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करावा ले एवं जमीन का कब्जा प्राप्त नहीं कर ले, प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादी खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा भी उपरोक्त आशय के खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 24—05—2016 से वादीगण का वाद स्वीकार कर

डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 02–01–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त दिनांक 24–05–2016 को पेशी होने की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं थी तथा उसे सुने बिना निर्णय पारित किया गया है, जिसकी प्रथम बार जानकारी उसे 19–12–2016 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वक्त निर्णय अपीलान्ट के मुख्तियार श्री लक्ष्मीनारायण उपस्थित थे व राजीनामें पर हस्ताक्षर किये हैं। दिनांक 24–05–2016 को अपीलान्ट के मुख्तियार श्री लक्ष्मीनारायण की उपस्थित में राजीनामे अनुसार वाद डिक्री किया गया है। अतः अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–04–2016 को वादी की साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली दिनांक 11–07–2016 को नियत थी, किन्तु इससे पूर्व ही दिनांक 24–05–2016 को लोक अदालत में निर्णय कर दिया गया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण है। हालांकि लोक अदालत में अपीलान्ट के मुख्तियार श्री लक्ष्मीनारायण उपस्थित थे व राजीनामें पर हस्ताक्षर हैं, तद्नुसार अपीलान्ट के कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होते हैं, फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16 की ओर से वकील श्री राजमल राव उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से वकील श्री खेमराज डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि जब कि भंवरी व ललित शंकर द्वारा किये गये पंजीकृत विक्रय पत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा दिया जाता, तब तक वाद चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय को उपरोक्त कानूननी बिन्दुओं पर साक्ष्य लेकर ही निर्णय पारित करना चाहिए था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर दिनांक 24–05–2016 को कोई पेशी मुकर्रर नहीं थी तथा पेशी दिनांक 18–04–2016 से 11–07–2016 की रखी गयी थी, दिनांक 24–05–2016 को कोई पेशी ही नियत नहीं थी एवं पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का समझौता भी नहीं हुआ था, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तरीके से राजीनामा लिखकर निर्णय पारित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे तथा दावे में नियमानुसार कार्यवाही की जाकर साक्ष्य लेकर व सुनकर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे। वकील अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 447, ए.आई.आर. 1976 राज. पेज 130, ए.आई.आर. 1998 राज. पेज 185 व आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 1370 की न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट के मुख्तियार श्री लक्ष्मीनारायण वक्त निर्णय उपस्थित थे तथा उन्होंने राजीनामें पर हस्ताक्षर किये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामें अनुसार ही वाद डिक्री किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22–04–2016 को प्रकरण में विवाद्यक कायम किये जाने का अंकन करते हुए पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 11–07–2016 को पेश हो का अंकन किया गया, किन्तु उक्त दिनांक के पूर्व ही दिनांक 24–05–2016 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर वाद डिक्री कर दिया गया। हालांकि लोक अदालत में अपीलान्ट के मुख्तियार श्री लक्ष्मीनारायण उपस्थित थे व राजीनामें पर हस्ताक्षर हैं, किन्तु सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि लोक

अदालत में सभी पक्षकारों की सहमति से ही निर्णय किये जाने के विधिक प्रावधान हैं, जैसाकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक नजीरों से स्पष्ट है। इसके अलावा प्रकरण लोक अदालत रखे जाने के कोई सूचना पत्र पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं हैं तथा न्यायालय आदेशिका पर कोई दिनांक भी अंकित नहीं है, जबकि प्रकरण में खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत होकर कुल 7 तनकियात कायम शुदा हैं तथा पत्रावली वादी की साक्ष्य में नियत थी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वादी की साक्ष्य लिए एवं बिना सभी पक्षकारों की सहमति के प्रकरण पृथक दिनांक को राजस्व लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। 1

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में साक्ष्य लेकर एवं पक्षकारों को विधिवत सुनकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–08–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास .... **प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰** ....

स्व॰ उदयलाल के बजाय देवीलाल सुथार, निवासी पीपली डोडियान, त. रेलमगरा, जि. राजसमन्द व अन्य बनाम **स्व॰ किशनलाल के बजाय माधवलाल सुथार, निवासी पीपली डोडियान, त. रेलमगरा, जि. राजसमन्द व अन्य**

अपील नं॰.......**22/2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी**.....
...........**राजसमन्द**......... मुकाम...............मुवर्खे............**13**..............माह.............**05**...........**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**21**....माह........**05**.......सन् **2019** रूबरू........**पक्षकारान**
व हाजरी......**श्री अक्षय पालीवाल**.....मिनजानिब अपीलान्ट व......**श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–05–2013 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**21**......माह.......**05**...........**2019**
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।